न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 128/2015

दाखा पत्नी स्व0 सागर जाति नाई निवासी देलसर खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

--अपीलान्ट--

---बनाम---

1- मन्जूदेवी पत्नी राकेशकुमार
2- पूर्णा पुत्र गोविन्दराम
3- बाबूलाल पुत्र रामकुमार
4- मूलचन्द पुत्र रामकुमार
5- मनीराम पुत्र सागर जाति नाई निवासी देलसर खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

जाति जाट निवासी देलसर खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोन्डेन्ट्स---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 8-10-2015 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री दीपेन्द्रसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री सुभाषचन्द पूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 11.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक संख्या -1 पूर्णा जमीन खसरा नं0- 5, 6, 7 ग्राम देलसर खुर्द के खातेदार काश्तकार है । जिनके नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज है। इस आराजी में मकान बना कर रह रहे हैं तथा एक कुआ बनाकर विद्युत कनेक्शन लेकर अपने खेत की सिंचाई करते हैं । खसरा नं0-8 के खातेदार अनावेदक संख्या-2, 3, 4, 5 है तथा इन्हीं का इस आराजी पर कब्जा काश्त है ।इस आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार रामकुमार का देहान्त हो

जिनके वारिस अनावेक संख्या-2 व 3 है । आवेदिका की जमीन ख0नं0 5,6,7 के दक्षिण में सटकर अनावेदक नं02,3,4,5 की जमीन ख0नं0 8 स्थित है। जिसमें से होकर आवेदिका का रास्ता है जो 10 फुट चौडा है । जो राजस्व रेकार्ड में कटा हुआ नहीं है। मार्क ए से सी रास्ता मौके पर चालू है रास्ता ए से बी रास्ता राजस्व रेकार्ड मे कटा हुआ है लेकिन मौके पर मौजूद नहीं है ।इस रास्ते को ख0न0 189/10 के खातेदारों ने ख0नं0 189/10 के उत्तरी सींव पर डाल रखा है । जिससे ही आना जाना होता है। असी आम रास्ते ए से सी में ई स्थान से चलकर रास्ता मिलता है जिससे होकर आवेदिका आती जाती है। अतः ख0नं0 5,6,7 में आने जाने हेतु रास्ता खेत ख0नं0 8 की पूर्वी सीमा नजरी नक्शे में दिखाया रास्ता ई से सी 10 फुट चौडा दिलाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एव पत्रावली है । अदालत मातहत ने मात्र वैकल्पिक रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट में नहीं होना मानकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या-1 का आवेदन पत्र स्वीकार किया है जबकि फर्द मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 23-12-2014 से अपीलान्ट का खेत खसरा नं0-8 से दिखाया गया है जबकि रेस्पोन्डेन्ट नं0-1 का खेत ख0नं0 5,6,7 दिखाये गये है और उक्त खेत मे जाने हेतु रास्ता डोटेड लाईन से ए,बी, के एवं ए बी एम से भी रास्ता गया है जो मौके पर चालू है जो रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के लिये सबसे नजदीक है जो सुविधाजनक है । इस कारण अदालत मातहत का आदेश कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्ट एक विधवा औरत है जिसके खेत में बीचों बीच रास्ता डालकर उसके खेत को बर्बाद किये जाने वाला आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 द्वारा अपने खेत के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य होते हुये उसे स्वीकार कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है ।

यह प्रार्थना पत्र अपीलान्ट जो एक विधवा है उसे हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है । जबकि अपीलान्ट के खेत से ख0नं0 189/10 में से होता हुआ रास्ता मौका पर मौजूद है । इस तथ्य पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । जिसमें धारा 68, 69, 70 एवं 251 "ए" के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना न कर आदेश पारित किया है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2068 से 2071 में आराजी ख0नं0-5, 6, 7 की खातेदारी मंजूदेवी पत्नी राकेशकुमार हि0 1/2, पूर्ण पि0 गोविन्द हि0 1/2 के नाम दर्ज है । ख0नं0 8 रकबा 2.65 हैक्टर की खातेदारी नामकुमार पुत्र नानूडा हि0 1/2, दाखी पत्नी स्व0 सागर व मनीराम पुत्र स्व0 सागर हि0 1/2 के नाम दर्ज है । फर्द मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 23-12-2014 में भू-अभिलेख निरी0 ने नजरी नक्शे में सी बिन्दू से रेस्पोन्डेन्ट/आवेदिका के खेत तक रास्ता बताया है जो ख0नं0 8 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे है तथा जो रास्ता एफ बिन्दू से जी तक रास्ता ख0नं0 8 के बीच में से है जिसे चालू बताया है किन्तु अदालत मातहत ने जो रास्ता बिन्दू सं0-सी से के0 तक का दिया है वह सबसे नजदीक का रास्ता है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुये अपना निर्णय दिया है जिसको यथावत रखा जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 6-10-2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.6.2018 को सुनाया गया ।

11/6/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं